पत्रांक – मं०मं०–01/आर०–28/2006.....1313

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 22/10/2014

विषय – सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में बनायी गई नीति एवं प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग :– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का ज्ञापांक–881, दिनांक–03.06.2009,

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित परिपत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बनाई गई नीति की कंडिका–2 (1) इस प्रकार है :–

"सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन वर्ष में एक बार जून माह में ही किया जाना है। जून माह से भिन्न माह में मात्र प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण सक्षम स्तर के एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के अनुमोदन से ही किया जाना है। किन्तु, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से होने वाले स्थानांतरणों में भी स्पष्ट कारण संचिका पर अंकित होने चाहिए। कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण/पदस्थापन के संदर्भ में आगे की कंडिका में और स्पष्ट मार्गदर्शन दिए जा रहें है।"

2. कतिपय विभागों/कार्यालयों के समक्ष यह प्रश्न आया है कि स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में एक ही पदाधिकारी कनीय एवं वरीय दोनों प्राधिकार के पदों पर पदस्थापित हैं तो जून माह से इतर यदि स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाता है तो क्या उक्त पदाधिकारी जो कि सक्षम प्राधिकार एवं सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर दोनों ही पदों पर आसीन है तो जून माह से इतर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं या फिर उनसे एक स्तर उपर के प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. तद्नुसार सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त परिस्थिति में निम्नांकित प्रावधान किया जाता है :–

"यदि एक ही पदाधिकारी दोनों स्तरों पर पदस्थापित/प्रभार में हैं, तब उक्त पदाधिकारी के एक स्तर उपर के सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।"

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत उक्त परिपत्र की कंडिका 2 (1) में उक्त प्रावधान को समाविष्ट किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह० 22/10

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–28/2006.....1313..../दिनांक– 22 अक्टूबर, 14

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/सभी मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 22/10

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\Cab I Systems\old file\Srikant.doc